इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2021—श्रावण 29, शक 1943

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास अभिकरण), दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 09 जुलाई 2021

क्रमांक/जिशविअ/सीमा वृद्धि/2021/1289.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची में यथा-उल्लेखित क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्र दमोह की सीमाओं के भीतर सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नलिखित आशय की अधिसूचना जारी की जाती है:—

अनुसूची—एक

दमोह की नगरपालिका परिसीमाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

क्र.	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्र का ब्यौरा	नगरीय मुख्यालय से ग्राम की दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	दमोह	इमलाई	इमलाई ग्राम	2413	571.00	सम्पूर्ण	3 किमी
2	दमोह	आमचौपरा	चौपरा खुर्द	2621	235.38	सम्पूर्ण	3 किमी
			चौपरा रैयतवारी	1860	121.64	सम्पूर्ण	3 किमी
3	दमोह	हिरदेपुर	हिरदेपुर ग्राम	3740	232.17	सम्पूर्ण	1 किमी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	दमोह	मारूताल	मारूताल	793	606.86	सम्पूर्ण	5 किमी
			कोटातला रैयतवारी	391	206.03	सम्पूर्ण	5 किमी
5	दमोह	पिपरिया	पिपरिया दिगंबर	666	287.24	सम्पूर्ण	3 किमी
		दिगम्बर	इटवा खुर्द	144	61.38	सम्पूर्ण	3 किमी
			दुपारिया	160	134.45	सम्पूर्ण	3 किमी
			लाडनबाग	1146	394.42	सम्पूर्ण	3 किमी
6	दमोह	मराहार	राजनगर खुर्द	70	203.22	सम्पूर्ण	2 किमी
7	दमोह	समन्ना	समन्ना माल	1052	541.27	सम्पूर्ण	3 किमी
			लिधोरा		278.70	सम्पूर्ण	3 किमी
			समन्ना रैयतवारी	167	141.9	सम्पूर्ण	3 किमी
8	दमोह	सिंगपुर	सिंगपुर ग्राम	1686	551.24	सम्पूर्ण	4 किमी
9	दमोह	कुअरपुर	पिपरिया नायक	313	108.38	सम्पूर्ण	4 किमी

अनुसूची—दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात्, दमोह नगरपालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:—

उत्तर दिशा—उत्तर दिशा में ग्राम महुआखेड़ा

पूर्व दिशा—पूर्व दिशा में ग्राम खमखेरा.

दक्षिण दिशा—दक्षिण दिशा में ग्राम अथाई.

पश्चिम दिशा—पश्चिम दिशा में ग्राम कोरासा.

उपरोक्तानुसार सारणी के स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शित ग्रामों को नगरपालिका परिषद् दमोह में सम्मिलित करने के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत दमोह एवं नगरपालिका परिषद दमोह द्वारा सहमति प्रदान की गई है. उपरोक्त ग्रामों को नगरपालिका परिषद दमोह में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनमानस से दावे एवं आपत्तियां आहूत की जाती हैं.

यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो कार्यालयीन दिवस एवं समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को—राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं. समयावधि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त दावें आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2021

क्रमांक 1515-डूडा-2021.—एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सागर जिले की खुरई ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगरपालिका परिषद् खुरई की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची-1 में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतविष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित

आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर धारा 5(2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची—एक

नगरपालिका परिषद् खुरई की सीमाओं से सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	सम्मिलित ग्राम (3)	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (4)
1	जरवास	जरवास, रेगुवा	1011.08
2	सतनाई	सतनाई, आलखेडी, हनौता, हरदुआ, जगदीशपुरा	1051.11
3	निर्तला	निर्तला, गूलर, रीठौर, लुहर्रा, मुहली बुजुर्ग	1671.18

अनुसूची—दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगरपालिका खुरई की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है:—

उत्तर में—राजस्व ग्राम निर्तला, लुईरा एवं मुहली बुजुर्ग की सीमाओं को सम्मिलित कर ग्राम कोहा, ग्राम धांगर एवं महसी की सीमाओं से मर्यादित.

पूर्व में—नगर खुरई की राजस्व सीमा की समस्त भूमि को सम्मिलित करते हुए ग्राम मुडिया, सिमरिया घाट एवं नरेन नदी से मर्यादित.

दक्षिण में—ग्राम रेगुवा, ग्राम जरवास एवं सतनाई की राजस्व भूमि को सम्मिलित करते हुए ग्राम दलपतपुर, खजरा हरचंद एवं मुकारमपुर की सीमाओं से मर्यादित.

पश्चिमं में—राजस्व ग्राम बागथरी पट्‌टी, सुनेटी एवं घोरट एवं बीना नदी की सीमाओं से मर्यादित होकर राजस्व ग्राम दलपतपुर तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर.

Sagar, the 30th July 2021

No. 1515-DUDA/2021—Hereby exercising the powers conferred for Section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No.37 of 1961) the hereby signify their intention to the limit of Nagar Palika Parishad Khurai Disst. Sagar include the village is defined in Schedule an below. Any authority are inhabitant of the scheduled-1 area may submit his objection or suggestion in writing on Collector disst. Sagar with in 15 days from the date of primary publication for this Notification for the consider as per rule And authority take such objection or suggestion in to consideration:—

SCHEDULE-1

No (1)	Name of Village (2)	Including Village (3)	Detail of Area (4)
1.	Jarwans	Jarwans, Renguwa	1011.08
2.	Satnai	Satnai, Aalkhedi, Hanota, Harduwa, Jagdishpura	1051.11
3.	Nirtala	Nirtala, Gular, Rethore, Luharra, Muhli bujurg	1671.18

SCHEDULE-2

The revised boundary of the Municipal Khurai after including the area in Schedule-1:—

North—Including Revenue boundary of Village Nirtala, Luharra and Muhli Bujurg till the Revenue boundary of Village Koha, Dhangar and Mehasi.

East—Including Revenue boundary of Town Khurai till Revenue boundary of Village Mudiya, Simariya Ghat and Narain river.

South—Including Revenue boundary of Village Renguwa, Jarwans and Satnai till the Revenue boundary of village Dalpatpur, Khajra Harchand and Mukarampur.

West—Till the Revenue boundary of Village Bagthari Patti, Suneti, Ghorat and till Bina River to Revenue boundary of Village Dalpatpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK SINGH, Collector.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.